संख्या-632/2025/1467/22-2-2024-17(425)/2024

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 जून, 2025

विषय:- जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगन्नाथ पुत्र श्री भभूती, निवासी जनपद-सीतापुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-27468/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-03.09.2024, दिनांक 09.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगन्नाथ पुत्र श्री भभूती, जो अकबरपुर, थाना-लहरपुर, जनपद-सीतापुर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 05-02-1979 को 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गड़सा से सर को धड़ से अलग करके कृष्ण बिहारी नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-302, 148, 149 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-03, सीतापुर के आदेश दिनांक 27.08.1982 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के आदेश दिनांक 21-12-2022 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 23.03.2024 तक 01 वर्ष 04 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 01 वर्ष 08 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- सिद्धदोष बन्दी जगन्नाथ पुत्र श्री भभूती की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। बन्दी द्वारा 01 वर्ष 04 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 01 वर्ष 08 माह 15 दिन की सपरिहार सजा तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, सीतापुर में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी जगन्नाथ (बन्दी संख्या-14/2023) पुत्र श्री भभूती, निवासी जनपद-सीतापुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-632/2025/1467(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, सीतापुर।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।